


बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं.सं. 5।निदे० प्रवे० दात्र०-03-17/15-2604 पटना, दिनांक : 07/08/2015

कार्यालय आदेश


अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं का निजी तकनीकी/व्यवसायिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर के संस्थानों को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु सूचना प्रकाशित की गई थी। इम्पैनलमेंट किये जाने हेतु सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में 5,00,000/- रु० के डिमांड ड्राफ्ट लिये जाने का निर्णय लिया गया था। बिहार के संस्थानों के अनुरोध पर सिक्यूरिटी डिपोजिट की जगह बैंक गारंटी दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।


सरकार के सचिव
07/08/15

ज्ञापांक : 2604

पटना, दिनांक : 07/08/2015

प्रतिलिपि: उपनिदेशक मुख्यालय/सहायक निदेशक (क), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/बिहार में अवस्थित वैसे सभी संस्थान प्रधान जिन्होंने अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग में आवेदन किया है एवं उन्हें औपबंधिक रूप से इम्पैनल्ड किया गया है को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव
07/08/15